समाहरणालय, मधेपुरा।

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

मो0 हारूण रसीद पे0 स्व0 अब्दुल हकीम, ग्राम गाढ़ा रहमानपुर, थाना सिंहेश्वर(शंकरपुर), जिला मधेपुरा ने लिखित रूप में आवेदन, बायोडाटा के साथ समर्पित कर सूचित किया है कि इनके नाम से दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-02/1983(सिंहेश्वर थाना) पर धारित शस्त्र सं0-15253 निर्गत है। इन्होंने अंकित किया है कि दिनांक 29.09.2013 को ही हज के लिए मक्का मदीना चले जाने एवं वहाँ से दिनांक 13.09.2013 को वापस आने के पश्चात् घर चले जाने तथा घर पर नोटिस की जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण निर्धारित तिथि को अपने शस्त्रों का सत्यापन एव नवीकरण नहीं करवा सके हैं। इन्होंने स्पष्टीकरण को स्वीकार करके शस्त्र अनुज्ञप्ति के भौतिक सत्यापन किये जाने की अपेक्षा की है।

विदित हो कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा विहित प्रपत्र में समर्पित करने हेतु दिनांक 04.10.2013 एवं 05.10.2013 का तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी किया गया था। नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः दिनांक 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई थी। उसके वावजूद भी मो0 हारूण रसीद (अनुज्ञप्तिधारी) द्वारा अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं विहित प्रपत्र में डाटावेश समर्पित नहीं किए जाने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 114/शस्त्र, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली-1962 की नियम-63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-02/1983(सिंहेश्वर थाना) को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था, जिसके आलोक में जवाव आवेदन प्राप्त हुआ है। इनके द्वारा समर्पित बायोडाटा अधूरा है। बायोडाटा में अपना उम्र 60 वर्ष से अधिक अंकित किए हैं। साथ ही अनुज्ञप्ति वर्ष 2012 तक ही सत्यापित है। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा उक्त शस्त्र का समुचित रख-रखाव कर पाना असंभव प्रतीत होता है एवं शस्त्र दुरूपयोग किए जाने की पूर्ण संभावना है। हज से दिनांक 13-11-2013 को लौटने के पश्चात् तत्क्षण वस्तुस्थिति की सूचना अनुज्ञापन पदा0-सह-जिला दंडाधिकारी को दिया जाना चाहिए था तथा हज में प्रस्थान करने से पूर्व अपने नाम पर धारित शस्त्र को संबंधित थाना/ गन हाउस में जमा कर दिया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। मात्र सूचना प्राप्त नहीं होने का बहाना बनाकर आरोप से बचना चाहते हैं। इनके द्वारा समर्पित जवाव आवेदन तथ्यहीन, भ्रामक एवं मनगढंत है, जो अनुज्ञप्ति शर्त्तो को पूरा नहीं करता है। आवेदक द्वारा अनुपस्थित अवधि में हथियार थाना/ गन हाउस में जमा करने की भी सूचना नहीं दिया गया है, जो शस्त्र अधिनियम-1959 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन है।

अतएव उल्लेखित परिपेक्ष्य में अनुज्ञप्ति शर्त्त एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 17 का उल्लंघन मानते हुए अनुज्ञप्तिधारी के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इनके नाम से निर्गत दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-02/1983 (सिंहेश्वर थाना) को **रद्द** किया जाता है तथा अनुज्ञप्तिधारी मो0 हारूण रसीद पे0 स्व0 अब्दुल हकीम, ग्राम गाढ़ा रहमानपुर, थाना सिंहेश्वर (शंकरपुर), जिला मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे अपना शस्त्र अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में एवं उस पर धारित शस्त्र सं0-15253 को सिंहेश्वर थाना अथवा बिहार गन हाउस, मधेपुरा को पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि श्री रसीद द्वारा समर्पित मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं मूल अनुज्ञप्ति पंजी पर " **रद्द** " प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर पृष्टांकित कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

जिला दंडाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक 117 /शस्त्र, दिनांक 24-3-14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, सिंहेश्वर/ मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : मो0 हारूण रसीद पे0 स्व0 अब्दुल हकीम, ग्राम गाढ़ा रहमानपुर, थाना सिंहेश्वर(शंकरपुर), जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

24/03/14

जिला दंडाधिकारी,

मधेपुरा।